भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 170
बुधवार, 24 जुलाई, 2024 (श्रावण 2, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

अन्न भण्डारण योजना

170 # श्री शंभू शरण पटेलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहकारिता मंत्रालय द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना को लागू किया जा रहा है;
(ख) इस योजना के तहत पंचायत/गाँव स्तर पर क्या लाभ होगा; और
(ग) इससे किसानों को अपनी उपज के उचित मूल्य मिलने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर । देश में अन्न भंडारण की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदन प्रदान किया, जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि के अभिसरण द्वारा पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि जैसे विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है । इस पायलट परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा नाबार्ड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सेवाएं (NABCONS), भारतीय खाद्य निगम (FCI), नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), आदि की सहायता से विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में किया जा रहा है ।

पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी । चूंकि पैक्स स्वयं ही खरीद केंद्र और उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के रूप में कार्य कर पाएंगे इसलिए खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और गोदामों से एफपीएस तक स्टॉक को वापस ले जाने में होने वाली परिवहन लागत में भी कमी आएगी । इससे न केवल पैक्स बल्कि उनके किसान सदस्यों का भी सशक्तिकरण होगा । पैक्स स्तर पर गोदामों के निर्माण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में निम्नलिखित रूप से मदद मिलेगी:

i. वे पैक्स में निर्मित गोदामों में अपनी उपज भंडारित कर सकेंगे और अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त प्राप्त कर इच्छानुसार समय पर उसे बेच सकेंगे, या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पैक्स को अपनी पूरी फसल बेच सकेंगे जिससे उन्हें अपनी फसलों की कम दरों पर मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी ।
ii. खाद्य आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला के साथ एकीकरण द्वारा किसान अपने बाजार का विस्तार करके अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे ।
iii. व्यवसाय के विविधीकरण से किसानों को आय के अतिरिक्त स्त्रोत प्राप्त हो सकेंगे ।

*****